न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/76/2021

उनवान

1. घीसा पिता बालू राम विश्नोई मृतक के बजाय
   1/1 देबी लाल पिता घीसा विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा हाल निवासी शारदा कोलोनी के सामने विश्नोई खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
   1/2 चुन्नी लाल पिता घीसा विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा हाल निवासी शारदा कोलोनी के सामने विश्नोई खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाडा
   1/3 श्रीमती कंचन पुत्री घीसा विश्नोई मृतक के बजाय
   1/3/1शंकर पुत्र कंचन विश्नोई उम्र वयस्क
   1/3/2 पूरणमल पुत्र कंचन विश्नोई उम्र वयस्क
   1/3/3 रतन पुत्र कंचन विश्नोई उम्र वयस्क
   1/3/4 भगवान पुत्र कंचन विश्नोई उम्र वयस्क
   1/3/5 रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र कंचन विश्नोई उम्र वयसक
   1/3/6 कमला पुत्री कंचन विंश्नोई उम्र वयस्क निवासीयान पुराना समेलिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/4 श्रीमती मांगी पुत्री घीसा विश्नाई पत्नी खेमराज विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीचा तहसील व जिला भीलवाडा

......अपीलान्ट / प्रतिवादीगण

बनाम

1. घीसू लाल पिता हजारी विश्नोई मृतक के बजाय –
   1/1 सत्यनारायण पिता भंवर विश्नोई उम्र वयसक निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/2 तुलसीराम पिता भंवर विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
   1/3 श्रीमती गंगा देवी पत्नी भंवर विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
   1/4 श्रीमती भोली पुत्री श्री घीसूलाल विश्नोई पत्नी श्री किशन जी विश्नाई, उम्र वयसक निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. किशन लाल पिता घीसा विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा हॉल शारदा कॉलोनी के समाने विश्नोईखेड़ा भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. ,नारायण उर्फ नारायण प्रकाश पिता घीसा विश्नोई उम्र वयसक निवासी दरीबा हॉल खेड़ाखूँट माताजी के सामने जवाहरनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. नंदलाल पिता घीसा विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा हॉल शारदा कॉलोनी के समाने विश्नोईखेड़ा भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. उपपंजीयक महोदय सब रजिस्टार कार्यालय भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा

....रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, फास्ट ट्रेक भीलवाडा के प्रकरण संख्या 154/2008 निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.7.2017

अभिभाषक :

1. **श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
2. **श्री विकास जायसवाल ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी**

आदेश

दिनांक 5.2.2026

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरिबा पटवार क्षेत्र दरीबा तहसील व जिला भीलवाडा में जरिये खाता संख्या 83 पुराने 81 के आराजी नं 60 रकबा 18 बिस्वा, आराजी ने 61 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नं 62 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी न. 63 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नं. 64 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नं. 65 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नं. 66 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा. कुल कित्ता 6 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। जो मुझ प्रार्थी के नाम अलोटमेन्ट हुई और अलोटमेन्ट होने के बाद सम्वत 2030 में खातेदारी दर्ज हुई। जिसकी पास बुक जारी की गई और तब से उक्त जायदाद पर वादी ही काबिज है। उक्त कृषि आराजी राजस्व रेकार्ड चोशाला जमाबंदी सम्वत 2030 से सम्वत 2058 तक नियमित रूप से वादी के नाम दर्ज रही परन्तु राजस्व रेकार्ड मे सम्बत 2059 से 2062 के मध्य की जमाबंदी में बिना किसी आधार के उक्त कृषि आराजी में वादी के नाग के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 01 घीसा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पिता बालू विश्नोई निवासी दरिबा का नाम भी इन्द्राज कर दिया गया। जो कि बिना किसी आधार के दर्ज किया गया है। वादी ने कभी भी उक्त जायदाद न तो घीसा को बेची है न रहन रखी है न ही अन्य किसी प्रकार से अन्तरित की है। राजस्व रेकार्ड मे उक्त अकन राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती की वजह से गलत अंकन किया गया है। उक्त कृषि आराजी से घीसा पिता बालू का कोई सबंध नहीं है वादी के अलावा उक्त जायदाद पर किसी अन्य का कब्जा भी नहीं है। वादी ने ही उक्त जायदाद पर कुआ खोदा है। जिस पर बिजली का कनेक्शन भी वादी ले रहा है। वादी ही के पास विद्युत विभाग से बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किये गये फार्म के तहत जब डिमाण्ड नोटिस आया तो वादी से विद्युत विभाग ने राजस्व अभिलेख की चालू जमाबंदी मागी जिससे वादी उक्त चालू जमाबंदी लेने गया और जब जमाबंदी की नकल ली तो उसमे किये गये इस गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को हुई जिसे दुरस्त किया जाना न्यायहित में नितान्ध आवश्यक है ।

2. सम्वत 2059 से 2062 की जमाबंदी ने वादी के नाम के साथ घीसा पिता बालू विश्नोई का नाम मनमकसुद तरीके से राजस्व अधिकारियों ने गलत दर्ज कर दिया है। जिसका कोई आधार राजस्व अभिलेख पर नहीं है एवं घीसा पिता बालू विश्नोई का नाम भी उल्लेखित नहीं किया गया है।

3. उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को विद्युत विभाग द्वारा चाही गयी चालू जमाबंदी की नकल प्राप्त करने से हुई है जिससे जानकारी होते ही यह वादपत्र पेश किया जा रहा है।

4. प्रतिवादी संख्या 01 का राजस्व अभिलेख में गलत नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 घीसा पिता बालू विश्नोई उक्त जायदाद को बेचने पर आमादा है जिससे उक्त प्रकरण में शीघ्रता उत्पन्न हो गयी है इसलिए राज्य सरकार को नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी. प्र0 सं0 दिया जाकर उस अवधि का इन्तजार किया जा पाना सम्भव नहीं है क्योंकि इस अवधि में प्रतिवादी सध्या 01 गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर जायदाद को बेच सकता है इसलिए धारा 80 के नोटिस से छुट दिये जाने बाबत् एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) के तहत पृथक से पेश किया जा रहा है।

5. अतः निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री सादर फरमाई जावे की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

(क) कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजी के राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज किये गये घीसा पिता बालू विश्नोई के नाम के इन्द्राज को दुरूस्त कर राजस्व अभिलेख में केवल मात्र घीसु पिता हजारी निवासी दरीबा का नाम दर्ज किया जावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7.2017 से स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी वादग्रस्त आराजियात पर अपीलान्ट प्रतिवादीगण के चले आ रहे कब्जे में रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा जबरन व्यवधान डाल अपीलान्ट प्रतिवादी को उक्त आराजियात से दिनांक 22.03.21 को बेदखल करने का असफल प्रयास करने के दौरान रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा आलोच्य निर्णय एवं डिक्री उनके हक में दिनांक 14.07.2017 को ही पारित कर दिये जाने की सर्वप्रथम जानकारी दिये जाने से हुयी इस पर अपीलान्ट प्रतिवादी ने समुचित जानकारी प्राप्त कर आलोच्य निर्णय डिक्री एवं आदेशिकाओं की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 24.03.2021 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर ही आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व नहीं दिया गया तथा न कोई किसी प्रकार की सूचना/नोटिस उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प दरीबा में रखने हेतु अपीलान्ट को दिया ही गया है, इस प्रकार अपीलान्ट को कोई किसी प्रकार की जानकारी पत्रावली कैम्प न्यायालय कम लोक अदालत में निस्तारित किये जाने हेतु रखे जाने की नहीं होने के कारण ही वे दिनांक 14.07.2017 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, वैसे भी लोक अदालत में उन्ही मामलो का निस्तारण किया जाता है जिनमें दोनो पक्षो की स्वतंत्र सहमति एवं स्वीकृति हो, जबकि प्रकरण हाजा में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कोई सहमति प्रकरण निस्तारण के संबंध में नहीं थी, वैसे भी अपीलान्ट ग्रामीण परिपेक्ष्य के कम शिक्षित, भोले भाले, सामान्य कृषक है, इतना ही नहीं अपीलान्ट की अपील काफी मजबुत, विधिक तथ्यो पर आधारित होने के साथ–साथ आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने घोर लापरवाही करने के साथ–साथ भारी अवैधानिकता एवं अनियमितता भी कारित की है, इस प्रकार अपीलान्ट की अपील मजबुत तथ्यो पर आधारित होने से मियाद का बिन्दु वैसे भी विधि के तहत गौण हो जाता है, ऐसी हालत में दिनांक 14.07.2017 से दिनांक 22.03.21 तक का समय उपरोक्त सदभाविक कारणों से कण्डोन किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अपीलार्थीगण ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

अतः निवेदन है प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 14.07.2017 से दिनांक 22.03.2021 तक का समय कण्डोन फरमाते हुऐ अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद में किये गये अभिकथनो को अपनी साक्ष्य से ही कत्तई अधीनस्थ न्यायालय में सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं किया अर्थात् रेस्पोडेन्ट/वादी ने वादग्रस्त आराजीयात तन्हा घीसू पिता हजारी को आंवटन होना अपने वाद में बताते हुऐ इस संबंध में स्पष्ट अभिकथन किये है किन्तु रेस्पोडेन्ट/वादी ने अपने वाद में किये गये उक्त अभिकथनो के संबंध में कोई किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत ही नहीं की अर्थात् न तो आंवटन प्रार्थना पत्र, न आंवटन आदेश तथा आंवटन आदेश की पालना में निष्पादित किये जाने वाले इकरारनामे, सिपूर्दगीनामे आदि को अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् जब आंवटन का महत्वपूर्ण तथ्य ही रेस्पोडेन्ट/वादी ने अपनी साक्ष्य से सिद्ध ही नहीं किया तो फिर रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद जो आंवटन के आधार पर ही आधारित था, को खारिज न कर अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर डिक्री करने में भारी विधिक भूल की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो का बिना विवेचन एवं विश्लेषण किये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित की है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/वादी ने जो वाद दिनांक 11.08.2008 को प्रस्तुत किया वह अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया और निर्विवाद रूप से धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कृषि आराजीयात के विभाजन से संबंधित है ऐसी हालत में उक्त वाद इन्द्रांज दुरस्ती का न होने से अव्वल तो प्रारंभिक स्टेज पर ही खारिज योग्य था व है, दोयम उक्त विभाजन का वाद रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा पेश करना राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे इन्द्रांज बाबत् रेस्पोडेन्ट/वादी की स्वतंत्र स्वीकारोक्ति है, जिससे रेस्पोडेन्ट/वादी बाउण्ड होकर बाध्य है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दु को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद खारिज न कर डिकी करने में भारी विधिक भूल की है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट/वादी ने अपने वाद में कोई बिनाय वाद ही उत्पन्न होना नहीं दर्शायी है और न इस संबंध में कोई विशिष्ट अभिकथन अपने वाद में ही किये है, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/वादी को कोई बिनाय वाद ही उत्पन्न नहीं हुई है और न हो रही है तो फिर बिनाय वाद के अभाव में रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद प्रारंभिक स्टेज पर ही काबिल खारिज के होते हुऐ भी खारिज न कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद डिकी करने में भारी विधिक भूल की है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद विधि के तहत प्रोपर प्रारूप में नहीं था व है तथा न विधि की औपचारिकताओ को ही उक्त वाद पूरा कर प्रस्तुत किया गया है अर्थात् रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मियाद, कोर्ट फीस आदि के संबंध में कोई अभिकथन ही विधि के तहत नहीं किये गये है, इतना ही नहीं विधि के तहत रेस्पोडेन्ट/वादी को अपने वाद के साथ वादपत्र की अतिरिक्त प्रति प्रस्तुत करनी होती है, साथ ही वाद की ताईद में अपना शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होता है. जो भी रेस्पोडेन्ट/वादी ने नहीं किये है, साथ ही रेस्पोडेन्ट/वादी ने अपना रजिस्टर्ड पता भी अपने वाद के साथ प्रस्तुत नहीं किया है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद प्रारंभिक स्टेज पर ही विधिक प्रारूप में न होने से एवं आज्ञापक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विधिक औपचारिकताये पूरी नहीं होने से काबिल खारिज के होते हुऐ भी खारिज न कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अनियमित वाद को डिकी करने में भारी विधिक भूल की है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई किसी प्रकार की सुनवायी का नोटिस केम्प दरीबा के संबंध में नहीं दिया गया इस कारण अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में केम्प दरीबा में उपस्थित होकर अपना पक्ष सदभाविक कारणों से प्रस्तुत नहीं कर सके अर्थात प्रकरण हाजा में दिनांक 28.04.2017 को अधिनस्थ न्यायालय में संशोधित आर्डरशीट साक्ष्य वादी हेतु नियत करते हुये पत्रावली दिनांक 18.08.2017 को नियत की गयी और दिनांक 18.08.2017 से पूर्व ही बिना किसी विधिवत सूचना के पत्रावली अपनेतही दिनांक 14.07.2017 को केम्प दरीबा में रख आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित कर दी दिनांक 14.07. 2017 की आलोच्य आदेशिका भी अपने आप संदेहास्पद होकर हास्यास्पद लगती है क्योंकि उक्त आदेशिका के पैरा संख्या 1 में निम्न तथ्य अंकित किये हुये है पत्रावली कोर्ट केम्प दरीबा पर पेश। वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 रा.का.अ. वादपत्र दिनांक 13.04.2010 को पेश किया गया जो दिनांक 13.01.2011 को स्वीकार किया गया।" इस प्रकार जब अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार प्रकरण 13.01.2011 को ही स्वीकार कर लिया गया तो फिर पुनः दिनांक 14.07.2017 को आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है वैसे भी दिनांक 13.01. 2011 की आदेशिका को देखे तो उसमें आदेश 22 नियम 04 जाब्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया प्रतीत होता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय नेघौर लापरवाही एवं अनियमितता करते हुये नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों की घौर अवहेलना करते हुये आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित की है जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिकाओं का सामान्य अवलोकन करने पर यह तथ्य भी उजागर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की सम्यक प्रक्रिया का निर्वहन ही नहीं किया और सामान्य आदेशिकाएं भी विधिवत रूप से लिपिबद्ध नहीं की गयी जो अधिनस्थ न्यायालय की घौर लापरवाही एवं अनियमितता का ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

परिचायक लगता है क्योंकि उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.08.2008 को प्रस्तुत किया गया उसके बाद प्रकरण में दिनांक 05.11. 2009 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से वकालातनामा अम्बा लाल जी कुमावत का प्रस्तुत किया गया और उनकी और से दिनांक 09.03.2010 को वादोत्तर भी प्रस्तुत कर दिया गया तथा पत्रावली कायमी तनकियात हेतु दिनांक 08.04.2010 को नियत की गयी कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 1 का निधन हो जाने से वादी की और से दिनांक 16.09.2011 को आदेश 22 नियम 04 जाब्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और उस पर आदेश दिनांक 04.06.2012 को पारित करते हुये संशोधित वाद शीर्षक दिनांक 26.06.2012 को प्रस्तुत कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी तो फिर पुनः दिनांक 04.09.2012 की आदेशिका में वादी की और से आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 का प्रार्थनापत्र पेश करने का तथ्य अंकित कर दिया जबकि उक्त दिनांक को कोई किसी प्रकार का प्रार्थनापत्र वादी की और से प्रस्तुत ही नहीं किया गया जो प्रार्थनापत्र वादी की और से प्रस्तुत किया गया वह दिनांक 04.06.2012 को ही स्वीकार किया जा चुका था इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय की कार्यशैली न तो संतोषजनक रही है और न ही विधिवत बल्कि उक्त कार्यवाही घौर लापरवाही का ही द्योतक है इस आधार पर भी आलोच्य निर्णय एवं डिक्री काबिल अपास्तगी के है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में जो आदेशिका दिनांक 10.06.2011 की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लिपिबद्ध की हुयी है उसमें यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी अधिवक्ता जिरह आइन्दा करना चाहते है प्रकरण दिनांक 04.07.2011 को पेश हो तथा दिनांक 04.07.2011 एवं दिनांक 03.08.2011 में भी प्रकरण साक्ष्य वादी की जिरह हेतु नियत किया हुआ है तथा इस दौरान कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हो जाने से पत्रावली उक्त प्रार्थनापत्र के जवाब हेतु नियत कर दी गयी तो फिर प्रकरण में वादी घीसू लाल के शपथपत्र की पुश्त पर एवं परसराम विश्नोई के शपथपत्र पर कमशः दिनांक 10.06.2011 व 04.07.2011 को जिरह होना दर्शायी गयी है वह अपने आप संदिग्ध होकर गलत है क्योंकि जब जिरह ही प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त दिनांकों को करने हेतु अवसर चाहा गया है तो फिर किस प्रकार एवं कैसे उक्त जिरह किया जाना दर्शाया गया है। इतना ही नहीं दिनांक 04.07.2011 को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से तारीख पेशी परिर्वतन की गयी है तो फिर दिनांक 04.07.2011 की जिरह पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना अपने आप संदेहास्पद हो जाता है अर्थात आदेशिका दिनांक 04.07.2011 एवं 10.06.2011 में वर्णित आदेश एवं शपथपत्रों पर उक्त दिनांकों को दर्शायी गयी जिरह अपने आपमें विरोधाभासी है अधिवक्ता प्रतिवादी ने अधिनस्थ न्यायालय में कभी भी गवाह घीसू लाल एवं परसराम विश्नोई से आज दिन तक जिरह नहीं की है जो आदेशिका दिनांक 04.07.2011 एवं 10.06.2011 से पूर्णतया प्रमाणित है फिर भी जिरह किया जाना दर्शाया गया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के घोर लापरवाही एवं अनियमितता, अवैधानिकता करते हुये आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो काबिल अपास्तगी के है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी घीसा के वारिसान की और से दिनांक 23.05.2013 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली पुनः जवाब हेतु दिनांक 28.05.2013 को नियत की गयी दिनांक 28.05.2013 से दिनांक 05.08. 2013 के मध्य कोई आदेशिका ही निष्पादित नहीं हुयी है तथा दिनांक 05.08. 2013 से दिनांक 17.02.2017 की आदेशिकाएं मात्र मोहर लगकर तारीख पेशी परिर्वतन करने के संबंध में है। इस प्रकार प्रकरण हाजा में दिनांक 23.05.2013 के बाद दिनांक 28.04.2017 तक कोई किसी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय में नहीं हुयी है इस प्रकार न तो प्रकरण हाजा में समुचित विधिक प्रक्रिया का निर्वहन किया गया है और न ही अपीलान्ट प्रतिवादी को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है इस आधार पर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री काबिल अपास्तगी के होकर पत्रावली पुनः पक्षकारान को साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधिनस्थ न्यायालय में काबिल प्रतिप्रेषित के है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली कभी भी अपीलान्ट प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत ही नहीं की है न हुयी है तथा सीधे प्रकरण का केम्प में अपनेतही निस्तारण कर दिया जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है. मात्र वादी के वाद को डिक्री करने का अपनेतही मानस बना अधिनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री अपनेतही बिना पत्रावली का समुचित अवलोकन, विश्लेषण एवं विवेचन किये पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कर दी इतना ही नहीं पत्रावली पर घोर लापरवाही एवं अनियमितता प्रथम दृष्टया ही सामान्य दृष्टि एवं बुद्धि से दृष्टीगोचर होते हुऐ भी उसे जानबुझकर नजर अन्दाज कर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अधिनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता पर अपने आप सामान्य व्यक्ति को संदेह उत्पन्न करने हेतु विवश कर देती है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट/वादी ने अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हक हिस्से के संबंध में कोई किसी प्रकार के कब्जे की दाद नहीं चाही है. जबकि अपीलान्ट / प्रतिवादीगण एवं उनके पिता काफी वर्षों से वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हक हिस्से पर बहैसियत खातेदार कृषक के काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा आज भी वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हक हिस्से पर अपीलान्ट / प्रतिवादीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का कब्जा व दखल चला आ रहा है, इस प्रकार विधि के तहत कब्जा मुखाल पाने के आधार पर भी अपीलान्ट / प्रतिवादीगण एवं रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हक व हिस्से से स्वतः काश्तकार है व कानूनन हो जाते है, ऐसी हालत में कब्जे की दाद के अभाव में रेस्पोडेन्ट/वादीगण का वाद कत्तई पोषणीय नहीं था व है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दु को नजर अन्दाज कर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

19. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आलोच्य निर्णय एवं डिकी की सर्वप्रथम जानकारी वादग्रस्त आराजियात पर अपीलान्ट प्रतिवादीगण के चले आ रहे कब्जे में रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा जबरन व्यवधान डाल अपीलान्ट प्रतिवादी को उक्त आराजियात से दिनांक 22.03.21 को बेदखल करने का असफल प्रयास करने के दौरान रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा आलोच्य निर्णय एवं डिकी उनके हक में दिनांक 14.07.2017 को ही पारित कर दिये जाने की सर्वप्रथम जानकारी दिये जाने से हुयी इस पर अपीलान्ट प्रतिवादी ने समुचित जानकारी प्राप्त कर आलोच्य निर्णय डिकी एवं आदेशिकाओं की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 24.03.2021 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

की जा रही है दिनांक 14.07.2017 से दिनांक 22.03.21 तक का समय उपरोक्त सदभाविक कारणों से काबिल क्षम्य के है इस हेतु दफा 05 कानून मियाद का प्रार्थनापत्र अलग से पेश हैं।

20. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित होने के उपरांत रेस्पोडेन्ट वादी धीसू पिता हजारी विश्नोई का निधन जनवरी 2021 में हो गया तथा उसके एकमात्र पुत्र भंवर का भी उसके जीवनकाल में ही निधन हो गया भंवर के पुत्र सत्यनारायण, तुलसीराम एवं पत्नी गंगादेवी मृतक घीसा पिता हजारी के विधिक प्रतिनिधि होकर मृतक घीसू की चल अचल सम्पदाओं पर काबिज चले आ रहे है इस कारण उन्हे रेस्पोडेन्ट बना यह अपील अंदर अवधि प्रस्तुत की जा रही है।

21. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 धीसा पिता बालू लाल विश्नोई के जायन्दा पुत्र है किन्तु वे अपीलान्ट के साथ आलोच्य निर्णय एवं डिकी की अपील करने को तैयार नहीं है इस कारण उन्हे औपचारिक रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया गया हैह।

22. अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.07. 2017 अपास्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट वादीगण का वाद कानूनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे अथवा पत्रावली को अपीलान्ट प्रतिवादी को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने एवं वादी के गवाहों से जिरह करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय एवं डिकी पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित की जावे।

23. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। अपील विलम्ब से पेश करने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण अंकित किया जाना अनिवार्य होता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे एवं अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

24. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 01 गलत होकर अस्वीकार है। उनका यह भी निवेदन है कि अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की कलम संख्या 02 गलत होकर अस्वीकार है। वादी ने अपने अभिकथनो में साक्ष्य से साबित किया है कि वादी ने अपने अभिकथनो के सम्बन्ध में PW 01 घीसु लाल पुत्र श्री हजारी विश्नोई, PW 02 परसराम पुत्र श्री जवाहर विश्नोई, PW–03 अमरचन्द पुत्र श्री गुलाब विश्नोई के बयान लेखबद्ध कराये है तथा साथ ही प्रदर्श–01 खाते की पासबुक, प्रदर्श–02 जमाबंदी संवत् 2055–2058 की जमाबंदी, प्रदर्श–03 जमाबंदी संवत् 2059–2062 भी साक्ष्य में प्रदर्शित कराये है जिनको ध्यान में रखकर ही न्यायालय ने वादी के पक्ष में वाद निर्णित कर ही डिक्री पारित की है।

25. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 03 गलत होकर अस्वीकार है। वादी ने भूलध्सहवनवश वादपत्र में धारा–53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लिख दिया था किन्तु वाद में वादपत्र के अभिकथन एवं वाद की प्रार्थनापत्र से यह स्पष्ट नजर आता है कि वादपत्र घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का ही पेश किया था फिर भी टंकण की इस त्रुटी को सुधारने के लिए वादी ने न्यायालय में संशोधन हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए धारा–53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की जगह धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम होना स्वीकार किया तत्पश्चात वादी ने संशोधित वादपत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर ही वादपत्र में आगे की कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त भूल विधि की भूल ना होकर टंकण की भूल मात्र थी जिसे बाद में सुधार लिया गया।

26. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 04 गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 03 में बिनाय वाद स्पष्ट रुप से अंकित है। उनका यह भी निवेदन है कि अपील की कलम संख्या 05 गलत होकर अस्वीकार है।

27. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 06 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादीगण को नियमानुसार नोटिस की तामिले हुई थी तथा प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता निरन्तर न्यायालय में उपस्थित हो रहे थे और आदेशिका में जो त्रुटी होना बताया गया है और इस त्रुटी से वादपत्र के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

गुणावगुण और विषयवस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नही पड़ता है। उक्त त्रुटी मात्र टंकण की त्रुटी है जिससे किसी भी पक्षकार के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद में प्रस्तुत गवाहो और दस्तावेजो के आधार पर विधि अनुरुप उचित निर्णय पारित फरमाया जिसे अपीलार्थीगण छोटी मोटी टंकणीय त्रुटियों को आधार बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय को गलत साबित कराना चाहता है जो कि केवल मात्र कानून के लचीले होने का दुरुपयोग है जिससे केवल न्यायालय का समय व्यर्थ एवं जाया होगा।

28. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 07 गलत होकर अस्वीकार है। केवत्र मात्र वादपत्र की आदेशिका में हुई टंकणीय त्रुटियों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ही गलत बता देना न्यायोचित नहीं है। आदेशिका में होने वाली छोटी मोटी त्रुटियां वाद के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नही डालती है।

29. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 08 गलत होकर अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में शपथपत्रो पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.06.2011, दिनांक 04.07.2011 को जिरह पूरी कर ली गई थी जो कि ऑन रिकॉर्ड है जिसके उपर शंका का प्रश्न ही पैदा नही होता है। केवल आदेशिका को त्रुटी को निर्णय के गलत होने का अधार नही माना जा सकता। यदि प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण को आदेशिका पर कोई आपति थी तो तत्समय अधिनस्थ न्यायालय में ही आपति प्रस्तुत कर आदेशिका का सुधार किया जा सकता था जो प्रतिवादीगण ने नही किया।

30. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 09 गलत होकर अस्वीकार है। वाद में प्रभावी कार्यवाही हुई है और समुचित विधिक प्रक्रिया का निर्वहन किया गया है। वाद में प्रस्तुत प्राथमिक (दस्तावेजी) साक्ष्य से ही विवादित आराजियात के सम्बन्ध में की गई त्रुटी केवल मात्र टंकणीय त्रुटी प्रतीत होती है क्योंकि प्रदर्श–02 जमाबंदी संवत् 2055–2058 में विवादित आराजियात का एक मात्र खातेदार घीसु पुत्र श्री हजारी विश्नोई था और कोई नामान्तकरण भी नहीं खुला था ना ही कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नामान्तरकरण विचाराधीन भी था जैसा कि जमाबंदी प्रदर्श–02 में स्पष्ट है तो उसके वाद संवत् 2059–2062 की राजस्व जमाबंदी में घीसु पुत्र श्री हजारी के साथ–साथ घीसा पुत्र श्री बालु का नाम आना सम्भव ही नही है तो भी केवल मात्र त्रुटीवश घीसा पुत्र श्री बालु का नाम घीसु पुत्र श्री हजारी के साथ–साथ दर्ज हो गया जो कि केवल मात्र प्रदर्श–02 व प्रदर्श–03 को देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अन्य सभी चीजे औपचारिक रह गई है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को समुचित अवसर प्रदान किया था इस कारण उक्त कलम जिस तरह से लिखी गई है वह गलत होकर अस्वीकार है।

31. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 10 गलत होकर अस्वीकार है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत समस्त रिकॉर्ड एवं पटवारी / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का एवं उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन कर न्यायिक सिद्धान्तो की पालना करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करवाया है जो विधि अनुरुप है। प्रतिवादी ने वादपत्र के दौराने विचारण कभी भी किसी ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य का जिक्र नही किया जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित आराजी वादी से क्रय की हो या कोई उचित प्रतिफल देकर हस्तान्तरित करवाई हो सम्पूर्ण पत्रावली में कही कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजियात में घीसा पुत्र श्री बालु का नाम किस आधार पर जोड़ा गया हो जबकि वादी ने अपनी साक्ष्य में संवत् 2055 से 2058 की जमाबंदी पेश की जिसमें कहीं भी कोई नामान्तरकरण नही खुला है और न ही कही कोई ऐसा इन्द्राज ही है जिससे यह दर्शिता होता है कि घीसा पुत्र श्री बालु का नाम संवत् 2059 से 2062 की राजस्व जमाबन्दी किस कारण से जोड़ा गया हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने कोई लापरवाही कारित नहीं की है बल्कि शीघ्र अतिशीघ्र उचित न्याय करने एवं पत्रावली का निस्तारण करने का प्रयास किया है।

32. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 11 गलत होकर अस्वीकार है। रेस्पोडेन्ट वादी मात्र का उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर कब्जा निरन्तर अनवरत बिना किसी विरोध के प्रारम्भ से ही अब तक चला आ रहा है तो ऐसे में रेस्पोडेन्ट वादी के कब्जे की दाद की आवश्यकता ही नही है तो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादपत्र में जो साक्ष्य प्रस्तुत की है उससे भी कब्जा एक मात्र वादी का ही साबित हो रहा है। रेस्पोडेन्ट/वादी ने आप श्रीमान् के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–41 नियम–27 सीपीसी का पेश कर रखा है जिसके साथ भी रेस्पोडेन्ट/वादी ने पर्चा लगान भू–प्रबन्ध विभाग नियम–1957, लगान की रसीद संवत् 2031 सन् 1974, लगान की रसीद संवत् 2035 सन् 1978, लगान की रसीद संवत् 2037 सन् 1980, लगान की रसीद संवत् 2042 सन् 1985 एवं वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–2074 प्रस्तुत की है जो भी इस बात का प्रमाण है कि रेस्पोडेन्ट्/वादी का उक्त विवादित आराजियात पर कब्जा निरन्तर अनवरत चला आ रहा है।

33. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 12 गलत होकर अस्वीकार है। विवादित आराजियात पर प्रारम्भ से ही निरन्तर, अनवरत बिना किसी विवाद के कब्जा रेस्पोडेन्ट/वादी का चला आ रहा है। कभी भी उक्त आराजियात पर अपीलान्ट / प्रतिवादगण का कब्जा रहा ही नही है न ही अपीलान्ट /प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात से कोई सम्बन्ध ही रहा है। ऐसे में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलान्ट / प्रतिवादीगण के चले आ रहे है कब्जे में रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा जबरन व्यवधान डाला गया जो सम्भव नही है। यह तथ्य केवल मात्र अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कराने के लिए झूठा एवं मनगढन्त अंकित किया गया है ताकि अपीलान्ट / प्रतिवादीगण को दफा–05 कानून मियाद अधिनियम का फायदा मिल सके। उनका यह भी निवेदन है कि अपील की कलम संख्या 13 के जवाब की आवश्यकता नहीं है।

34. प्रत्यर्थी संख्या 1/1, लगायत 1/4 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या 14 में न्यायालय निर्णय को आलोच्य बताना गलत होकर अस्वीकार है तथा शेष तथ्य स्वीकार है। उनका यह भी निवेदन है कि अपील की कलम संख्या 15 व 16 कानूनी होकर जवाब की आवश्यकता नही है।

35. अपील मेमो के अन्त में जो प्रार्थना की गई है वह पूर्णतः गलत होकर खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री सही होकर विधि अनुरुप होने से अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जावे और हर्जा खर्चा वादी/रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट से दिलाया जावे।

36. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी घीसु लाल पुत्र श्री हजारी विश्नोई के पक्ष में संवत् 2030 में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज है खातेदारी में दर्ज होने के कई वर्षों पूर्व से ही घीसू पुत्र श्री हजारी विश्नोई का कब्जा निरन्तर चला आ रहा था। इसके पश्चात संवत् 2030 से संवत् 2058 तक निरन्तर एवं नियमित रुप से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में एक मात्र रुप से दर्ज चला आ रहा था किन्तु संवत् 2059 से 2062 की राजस्व जमाबंदी में बिना किसी आधार के वादी घीसू पुत्र श्री हजारी विश्नोई के साथ–साथ प्रतिवादी घीसा पुत्र श्री बालू विश्नोई का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत होकर विधि विरुद्ध था। घीसा पुत्र श्री बालू विश्नोई का नाम तत्समय भूलवश, सहवन से टंकणीय त्रुटी के कारण अथवा लापरवाही / मिलीभगत के कारण जुड़ गया और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जिसकी जानकारी तक भी घीसा पुत्र श्री बालू को नही हुई थी। जब वादी घीसू पुत्र श्री हजारी को इस तथ्य की जानकारी हुई और उसने अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया तो उसके नोटिस घीसा पुत्र श्री बालू विश्नाई को तामील होने पर जानकारी में आया और जानकारी में आते ही घीसा पुत्र श्री बालू ने इस गलत इन्द्राज का फायदा उठाना चाहा और तब से लेकर आज तक घीसा पुत्र श्री बालू और उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसाना इस गलत इन्द्राज का फायदा उठाने के नाजायज प्रयास करते चले आ रहे है जबकि निरन्तर कब्जा रेस्पोडेन्ट/वादी का चला आ रहा है।

37. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट / प्रतिवादीगण के पास ऐसा कोई एक मात्र दस्तावेज जमाबंदी / विक्रयपत्र / नामान्तरकरण / दान विलेखध्अन्य कोई हस्तान्तरण विलेख नही है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज जो यह साबित करता हो कि घीसा पुत्र श्री बालू का उक्त विवादित आराजियात में कोई हक हिस्सा निहित हुआ हो। अस्तित्व में ही है क्योंकि घीसू पुत्र श्री हजारी विश्नोई से उक्त विवादित आराजियात के किसी भाग को ना तो कभी विक्रय किया गया और न ही दान किया गया ना अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित किया और ना ही किसी भी तरह की कोई सहमति हस्तान्तरण बाबत् दी तो ऐसी स्थिति में कतई सम्भव नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है कि उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में घीसा पुत्र श्री बालू का नाम जुड़ जावे। अतः इस कारण यह अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

38. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में कोई इन्द्राज होता है अथवा राजस्व रिकॉर्ड में किसी खातेदार का नाम जुड़ता है तो इसके लिए किसी न किसी नामान्तरकरण का खोला जाना ध्फैसल किया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि कोई इन्द्राज दौराने सेटलमेन्ट भी होता है तो पर्चा खतौनी के माध्यम से ही हो सकतता है किन्तु यहां प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ऐसे किसी दस्तावेज का जिक्र तक नही किया गया है। यदि अपीलार्थी अपनी अपील मेमो में ऐसा कोई दस्तावेज होने का जिक्र करता और उसे साक्ष्य में प्रस्तुत करने हेतु कहता तो फिर भी यह अपील विचारण योग्य होती किन्तु यहां अपील में ऐसी कोई साक्ष्य होना नही बताया गया है। इस कारण भी यह अपील खारिज होने योग्य है।

39. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में बगैर नामान्तरकरण खोले किसी भी खातेदार का नाम दूसरे खातेदार के खाते में उसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता जबकि इस प्रकरण में विवादित आराजियात का खाता जो निन्तर संवत् 2030 से 2058 तक घीसू पुत्र श्री हजारी विश्नोई के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा था। उसमें संवत् 2059–2062 की जमाबंदी में घीसू पुत्र श्री हजारी के साथ घीसा पुत्र श्री बालू का नाम भी जोड़ दिया गया है जो कि विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। घीसा पुत्र श्री बालू का नाम राजस्व रिकॉर्ड के किस नामान्तरकरण या फर्द के माध्यम से जोड़ा गया है ऐसा कोई दस्तावेज या सक्ष्य का अस्तित्व ही नही है न ही किसी दस्तावेज या साक्ष्य का जिक्र ही इस अपील मेमो में किया गया है। अतः यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

40. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी/ प्रतिवादीगण ने अपनी अपील मेमो में वादी/रेस्पोडेन्ट की जानकारी से उसकी सहमति से घीसा पुत्र श्री बालू का नाम अंकन होना बताया है जबकि वादी घीसू पुत्र श्री हजारी की कभी कोई ऐसी सहमति नही थी। प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण ने ना तो अपने जवाबदावे में और ना ही अपील मेमो में सहमति हेतु किसी दस्तावेजा का जिक्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

ही किया है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अथवा अपील के साथ पेश ही किया है। ऐसे में सहमति का कथन पूर्णतः काल्पनिक है जिसके अपीलार्थी/ प्रतिवादीगण के पास कोई भी साक्ष्य मौजूद नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण को गुणावगुणो पर विचार करते हुए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही के कारण वादी के पक्ष में निर्णित किया है क्योंकि सहमति का दस्तावज ही प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण एक मात्र आधार है जिसका कोई अस्तित्व नही है ऐसी कोई सहमति का राजस्व रिकॉर्ड में भी कोई अंकन नही है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय पूर्णतः विधि अनुरुप होकर सही है जिसमें कही कोई त्रुटी नहीं है। इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

41. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जा कि अन्दरअवधि नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय दिनांक 14.07.2017 को कर दिया था जबकि अपीलार्थी के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील दिनांक 30.03.2021 को प्रस्तुत की है जो कि लगभग 03 वर्ष 09 माह के पश्चात पेश हुई है। इतने लम्बे समय का विलम्ब होने का कोई स्पष्ट कारण अपीलार्थी ने अपील में अंकित नही किया है बल्कि दिनांक 22.03.2021 को कब्जे से बेदखल करने के प्रयास से जानकारी होने के बाबत लिखा है। अपीलार्थीगण स्वयं अपने अपील मेमो में यह कथन कर रहे है कि दिनांक 28.04.2017 को अधिनस्थ न्यायालय में संशोधित ऑर्डरशीट साक्ष्यवादी हेतु नियत करते हुए पत्रावली दिनांक 18.08.2017 को नियत की गई। अर्थात् अपीलार्थी को दिनांक 18.08.2017 को न्यायालय में उपस्थित होना ही था जिसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता को थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दिनांक 18.08.2017 को अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्हे प्रकरण के निर्णित होने की जानकारी उसी दिन मिल गई। यह अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता का नैतिक कर्तव्य भी था कि दिनांक 18.08.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण की जानकारी करे जो उन्होने निश्चित रुप से ही की होगी अर्थात् तात्पर्य यह हुआ है कि अपीलार्थीगण को दिनांक 18.08.2017 को ही प्रकरण के निर्णित होने का पता चल गया था लेकिन अपीलार्थीगण ने 03 वर्ष 09 माह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

तक उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील पेश नही की थी क्योंकि विवादित आराजियात पर कब्जा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा था और वे ही उक्त आराजियात के अधिकृत स्वामी थे और है। इस तथ्य को अपीलार्थीगण अच्छी तरह से जानते थे इस कारण उन्हाने कोई अपील पेश नही की। अपीलार्थीगण न गलत व मिथ्या मनगढन्त आधारो पर दफा–05 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है और इतने लम्बे विलम्ब का दिन से दिन तक कोई स्पष्ट कारण अंकित नही किया है। अपीलार्थीगण ने दिनांक 22.3.2021 को कब्जे से बेदखल करने के प्रयास वाली बात कही है जबकि दिनांक 22.03.2021 अथवा कभी भी अपीलार्थीगण का मौके पर कब्जा था ही नही। ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य भी अपीलार्थी के पास नही है जो यह बता सकती हो कि उस दिन या कभी भी विवादित आराजियात पर कब्जा अपीलार्थीगण का रहा हो तथा यहां यह कहना भी सुसंगत होगा कि दिनांक 22.03.2021 को अपीलार्थीगण ने कोई रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में या विभाग में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खिलाफ बेदखली के प्रयास बाबत नही दी है ना ही रिपोर्ट देने का कथन किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास स्वयं का निरन्तर कब्जा होने सम्बन्धित सभी दस्तावेज साक्ष्य हेतु मौजूद है और पत्रावली पर पेश भी है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01ध्वादी के द्वारा जबरन बेदखली के प्रयास के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई। कोई वाद/रिपोर्ट/नोटिस वादी / रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खिलाफ प्रस्तुत नही किया गया और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

42. यह सभी तथ्य यह साबित करते है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण होने के पश्चात प्रकरण के निस्तारण की जानकारी अपीलार्थीगण को होने के बावजूद अपीलार्थीगण ने 03 वर्ष 09 के विलम्ब से यह अपील पेश की है और दफा–05 का मियाद अधिनियम का मनगढन्त तथ्यो का प्रार्थनापत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह कर रहे है। अतः इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया दफा–05 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है और इस कारण अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

43. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित आराजियात पर विगत 51 वर्षों में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 घीसू पुत्र श्री हजारी एवं उसके पुत्र भंवर पुत्र श्री घीसू और उन दोनो की मृत्यु के पश्चात भंवर पुत्र श्री घीसू के वारिसानो का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जिसमें किसी प्रकार का कोई दखल किसी का नही रहा है। कब्जे बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास पर्चा लगान एवं उनकी रसीदे, निरन्तर जमाबंदिया, बिजली के बिल, खसरा गिरदावर इत्यादि मौजूद है साथ ही मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ने पक्का निर्माण करके कृषि आराजियात की देखरेख करने के बाबत 02 कमरे बना रखे है। सिंचाई के लिए 02 पाईप लाईन लगा रखी है और चारो तरफ चारदीवारी बना रखी है एवं भूमि सुधार हेतु पंजाब नेशनल बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन ले रखा है और पत्रावली पर पेश है, जबकि अपीलार्थीगण के पास कब्जे से सम्बन्धित एक भी दस्तावेज मौजूद नही है। ऐसे में अपीलार्थी का यह कथन कि मुखालवाने के आधार पर प्रतिवादी उक्त वर्णित आराजियात के स्वयं खातेदार काश्तकार हो गये है, संभव ही नही है क्योंकि प्रतिवादी / अपीलार्थीगण का मौके पर कब्जा रहा ही नही। अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उनके वारिसो को कब्जे की बेदखली बाबत न हो तो कोई नोटिस दिया और न ही कोई वादपत्र सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया।

44. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात से सम्बन्धित पटवारीध्तहसीलदार की मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई जिसमें भी श्रीमान् तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा जमाबंदी रोटेसन 2055–2058 के अनुसार खाता घीसू पुत्र श्री हजारी विश्नोई के ही नाम पर किया जाना उचित है, अनुशंषा की गई जिससे भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घीसा पुत्र श्री बालु का नाम वादी / रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ टंकण की त्रुटी वजह से बिना किसी कारण के दर्ज हो गया था जिसके अधिनस्थ न्यायालय ने हटाने का आदेश दिया जो सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुरुप होकर उचित है और उसके खिलाफ प्रस्तुत की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

45. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस में अपना कथन अंकित करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने जानबूझकर पक्षकारो का कुसंयोजन कर अपील पेश की है। वर्तमान खातेदार ने उक्त विवादित भूमि पर पंजाब नेशनल बैंक, पांसल से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन ले रखा है जिसका इन्द्राज राजस्व जमाबंदी में है जो कि एक लोक दस्तावेज है जिसकी जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण को होने के बावजूद अपीलार्थीगण ने पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–पांसल, जिला भीलवाड़ा को पक्षकार के रुप में संयोजित नही किया है जबकि वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के वारिसों को लोन भी उनके कब्जे को मध्यनजर रखते हुए मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के वारिसो/खातेदारो का कब्जा होने से लोन दिया है।

46. अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमो में यह कथन किया है कि आवंटन पूर्व से ही उक्त विवादित आराजियात घीसा पुत्र श्री बालुराम के कब्जे व बेदखल में चली आ रही थी।ꣻ अपीलार्थीꣻ प्रतिवादीगण का यह कथन । कतई विश्वास के काबिल नही होकर झूठा एवं बेबुनियादी है क्योंकि आवंटन से पूर्व यदि घीसा पुत्र श्री बालुराम का कब्जा होता तो अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीꣻ प्रतिवादीगण द्वारा धारा–91 के नोटिस एवं पेनल्टी की रसीद जवाब के साथ प्रस्तुत करते जबकि प्रतिवादीगण ꣻ अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय व न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक तक प्रस्तुत नही किया। यहां यह कहना भी सुसंगत होगा कि जब वादी घीसू पुत्र श्री हजारी को उक्त विवादित आराजियात गैर खातेदारी में आवंटन कर दी गई है उसके पश्चात से अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश करने तक आवंटन सम्बन्धी कोई आपत्ति/नोटिस तहसीलदार भीलवाड़ा के समक्ष अथवा किसी समक्ष अधिकारी के समक्ष गलत आवंटन होने बाबत् प्रस्तुत नही किया और न ही ऐसा कोई नोटिस या आपत्ति की प्रतिलिपि आज दिन तक अधिनस्थ न्यायालय अथवा आप श्रीमान् के समक्ष ही प्रस्तुत की गई। उक्त समस्त तथ्यो को देखते हुए यह तथ्य स्वतः साबित होता है कि उक्त विवादित आराजियात पर आवंटन पूर्व एवं उसके बाद निरन्तर आज दिन तक कब्जा निर्विरोध रुप से रेस्पोडेन्ट् संख्या 01/वादी एवं उसके वारिसानो का चला आ रहा है जिसमें प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण का कोई दखल नही है।

47. अतः निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस /लिखित बहस स्वीकार की जावे एवं अपील को अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

48. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

किया कि आलोच्य निर्णय एवं डिकी की सर्वप्रथम जानकारी वादग्रस्त आराजियात पर अपीलान्ट प्रतिवादीगण के चले आ रहे कब्जे में रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा जबरन व्यवधान डाल अपीलान्ट प्रतिवादी को उक्त आराजियात से दिनांक 22.03.21 को बेदखल करने का असफल प्रयास करने के दौरान रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा आलोच्य निर्णय एवं डिकी उनके हक में दिनांक 14.07.2017 को ही पारित कर दिये जाने की सर्वप्रथम जानकारी दिये जाने से हुयी इस पर अपीलान्ट प्रतिवादी ने समुचित जानकारी प्राप्त कर आलोच्य निर्णय डिकी एवं आदेशिकाओं की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 24.03.2021 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर ही आलौच्य निर्णय व डिकी पारित करने से पूर्व नहीं दिया गया तथा न कोई किसी प्रकार की सूचनाध्नोटिस उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प दरीबा में रखने हेतु अपीलान्ट को दिया ही गया है, इस प्रकार अपीलान्ट को कोई किसी प्रकार की जानकारी पत्रावली कैम्प न्यायालय कम लोक अदालत में निस्तारित किये जाने हेतु रखे जाने की नहीं होने के कारण ही वे दिनांक 14. 07.2017 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, वैसे भी लोक अदालत में उन्ही मामलो का निस्तारण किया जाता है जिनमें दोनो पक्षो की स्वतंत्र सहमति एवं स्वीकृति हो, जबकि प्रकरण हाजा में कोई सहमति प्रकरण निस्तारण के संबंध में नहीं थी, वैसे भी अपीलान्ट ग्रामीण परिपेक्ष्य के कम शिक्षित, भोले भाले, सामान्य कृषक है, इतना ही नहीं अपीलान्ट की अपील काफी मजबुत, विधिक तथ्यो पर आधारित होने के साथ–साथ आलौच्य निर्णय एवं डिकी पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने घोर लापरवाही करने के साथ–साथ भारी अवैधानिकता एवं अनियमितता भी कारित की है, इस प्रकार अपीलान्ट की अपील मजबुत तथ्यो पर आधारित होने से मियाद का बिन्दु वैसे भी विधि के तहत गौण हो जाता है, ऐसी हालत में दिनांक 14.07.2017 से दिनांक 22.03.21 तक का समय उपरोक्त सदभाविक कारणों से कण्डोन किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अपीलार्थीगण ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अतः निवेदन है प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 14.07.2017 से दिनांक 22.03.2021 तक का समय कण्डोन फरमाते हुऐ अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे।

49. प्रत्यर्थीगण की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

50. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया। लिखित बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन , अध्ययन व मिलान किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार प्रारंभ में धारा अन्तर्गत 53–54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया । दिनांक 5.11.2009 को प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति दी गई। इस दिन जवाब पेश हुआ , तनकी बनी या नहीं बनी इसका अंकन नहीं किया गया । दिनांक 13.4.2010 को एक प्रार्थना पत्र का अंकन है लेकिन यह प्रार्थना पत्र किससे संबंधित है इसका अंकन नहीं है। दिनांक 13.1.2011 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है लेकिन तनकी का क्या हुआ है इसका अंकन नहीं किया गया है। दिनांक 11.2.2011 को प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई कि पत्रावली में मूल रेकार्ड नहीं होने से जिरह नहीं की जा सकती । जिस पर न्यायालय ने वादी को मूल रेकार्ड पेश करनरे का आदेश दिया । दिनांक 22.2.2011 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मूल दस्तावेज पेश किये । जिसका निस्तारण पत्रावली में नहीं किया गया है। दिनांक 10.6.2011 को वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह आइन्दा करने का निवेदन किया गया लेकिन दिनांक 10.6.2011 को बयान के पृष्ठ पर जिरह अंकित कर दी । यह कैसे संभव है । शपथ पत्र परसराम विश्नोई का था। जबकि जिरह पृष्ठ पर अंगूठा निशानी घीसा की है। उक्त कार्यवाही दिनांक 4.7.2011 को की गई है। जबकि उक्त दिनांक की आदेशिका पर अन्य कार्य में व्यस्त होने की सील लगी हुई है जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार आदेशिका में विभिन्न तारीखों में असंगतता है। एवं दिनांक 28.4.2017 को पत्रावली साक्ष्य वादी में निर्धारित थी व आगामी तारीख 18.8.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नियत थी। लेकिन इससे पूर्व ही दिनांक 14.7.2017 को लोक अदालत/कोर्ट केम्प दरीबा पर पत्रावली पेश हुई । उसी दिन वाद पक्षकारों की बिना सहमति के निस्तारित कर दिया गया । पत्रावली पर पक्षकारों की सहमति कहीं पर भी नहीं है। जबकि न्यायालय को चाहिये था कि पक्षकारों को तलब कर जवाब का अवसर दिया जाकर तनकियात कायम की जाती, साक्ष्य का अवसर दिया जाता । तदुपरान्त विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जाता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकिया को नहीं अपनाया गया है। जो पक्षकारों को न्याय से वंचित रखने के समान है। प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

51. आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 14.7.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को तलब कर जवाब का अवसर प्रदान किया जावे तदनुसार तनकियात कायम कर साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावागुण पर विस्तृत विवेचन के साथ विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

52. आदेश आज दिनांक 5.2.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा